प्रकरण संख्या 7/2018 रजिस्ट्रेशन नं. 2018/00117 (गुण्डा एक्ट)
सरकार बनाम मुकेश S/o दुर्गाशंकर राव निवासी बारां 8

23 **पत्रावली** पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित है। प्रकरण मे तामील कुनिन्दा **श्री** घनश्याम पुत्र काशीराम सहरिया एफ.सी. नं0 1045 थाना कोतवाली बारॉ उपस्थित **है**। जिसके बयान लेखबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। उसके द्वारा अपने **बयानो** मे बताया गया कि गैरसायल मुकेश पुत्र दुर्गाशंकर जाति राव निवासी चरीघाट रोड बारॉ के नाम प्रकरण संख्या 07/2028 किस्म इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत मे जारी गिरफ्तारी वारन्ट कमांक/रीडर II/2023/842 दिनांक 04.09.2023 की पालना करने हेतु उसके निवास स्थान के पते पर गया, वहॉ पर किरायेदार रामसिंह ऐरवाल एवं पडौसी विकास द्वारा बताया गया कि यहॉ तो हम किरायेदार रहते है मकान मालिक कोटा रहता है। यह पता नही कोटा मे कहा पर रहता है। आसपास वालो से मेरे द्वारा पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोटा ही रहना बताया गया। गैरसायल कोटा मे कहा वर्तमान मे रह रहा है इसकी जानकारी प्राप्त नही हुई। इसलिये गिरफ्तारी वारन्ट अदम तामील मे वापिस रिपोर्ट कर भिजवाया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि प्रकरण दि. 05.06.2018 को इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया गया है। प्रकरण मे गैरसायल के वर्तमान पते के अभाव मे उसको तामील नही हो रही है। प्रकरण 05 वर्ष की अवधि से अधिक पुराना हो गया है। गैरसायल के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत इस्तागासा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ को आदेशित किया जाता है कि गैरसायल के वर्तमान निवास स्थान की जानकारी होने पर इस्तगासा नये सिरे उसके विरूद्व प्रस्तुत करे। राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ एवं जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारॉ को उक्त आदेश की सत्य प्रतिलिपी सूचनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील अभिलेख भण्डार मे प्रवीष्ठ हो।

आदेश आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

~~अति0 जिला मजिस्ट्रेट~~
अति० जिला मजिस्ट्रेट
बारां (राज०)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested